स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

के

सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके

परिवार

के लिए

सामूहिक मेडिक्लेम

योजना

वर्ष 2008

यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कं.

लिमिटेड

डिविजनल कार्यालय सं. ग५
ई–85, हिमालय हाउस, 8वीं मंजिल,
23, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली–110001
टेली. कार्यालय : 23310375, 23325769, फैक्स : 23353698

सेल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एवं उनके परिवार (2008) के लिए चिकित्सा योजना

1. योजना का उद्देश्य

सेल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना।

2. योजना के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति

- सेल (इस्को सहित) के सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनका परिवार (पति/पत्नी)
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी और उनका परिवार (पति/पत्नी)
- ऐसे कर्मचारी जो स्थायी व पूर्ण रूप से असशक्त होने पर रोजगार पर नहीं हैं तथा उनका परिवार
- ऐसे कर्मचारी का परिवार जिसकी रोजगार में रहते हुए मृत्यु हो गई हो।
- यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू है जो इसका विकल्प मांगते हैं, उन्हें अब से "सदस्य" कहा जाएगा।

3. योजना

ये सदस्य इन्श्योरेंस कम्पनी की सामूहिक मेडिक्लेम इन्श्योरेंस पोलिसी के अंतर्गत आएंगे। पोलिसी यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कं. लिमिटेड, डिविजनल कार्यालय–ग्ग, ई–85, हिमालय हाउस, 8वीं मंजिल, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001 द्वारा चलाई जाएगी। इस पोलिसी की अवधि 1–1–2008 से31–12–2008 तक होगी। परन्तु दावे के निपटान के लिए बिल व अन्य सम्बद्ध दस्तावेज उस केन्द्र को सीधे भेजे जाएंगे, जिसके विकल्प को सदस्य ने चुना है।

4. योजना में शामिल होने की प्रक्रिया

- सेल के साथ किए गए समझौते के अनुसार सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मेडिक्लेम योजना का कार्य देख रहे संयंत्र/यूनिट के कार्यालय सदस्यता का फार्म देंगे।
- सदस्यता का यह फार्म योजना में शामिल होने के इच्छुक कर्मचारी और उसका परिवार (पति/पत्नी)भरेंगे। सभी कालम में मांगी गई जानकारी स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए। किसी भी कालम को खाली नहीं छोड़ना चाहिए।
- सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पूर्व स्वयं को इस योजना में शामिल हो जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति के पश्चात् सदस्यता के लिए आवेदन किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेकिन, सेवानिवृत्ति की स्थिति में 30 दिन और कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में 90 दन की रियायत दी जाएगी।
- डाक पता अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए।
- पोलिसी अवधि के लिए सदस्यता फीस 661/– रु. प्रति सदस्य है। पूरी तरह भरा गया फार्म 661 रु. प्रति सदस्य की फीस के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट सेल खाता नं. .... (अपने संयंत्र/सेल के यूनिट/निगमित कार्यालय, जैसा भी हो), संयंत्र/यूनिट के पास जमा किया जाना चाहिए।
- संयंत्र/यूनिट ये फार्म इन्श्योरेंस कम्पनी भेजेगा और इसकी प्रति सेल निगमित कार्यालय में जमा कराई जाएगी। इस्को के संबंध में ड्राफ्ट "सेल इस्को स्टील प्लांट" के नाम बनाया जाना है।
- सेल के संयंत्र/यूनिट द्वारा पूरी तरह से भरा गया फार्म मिलने पर वह संयंत्र/यूनिट एक मेडिक्लेम इन्डेक्स नं. (एम.आई.एन.) आबंटित करेगा।

टिप्पणी : पते में किसी भी तरह के परिवर्तन की सूचना तुरन्त सम्बद्ध संयंत्र/यूनिट तथा इन्श्योरेंस कम्पनी के मेडिक्लेम इन्डेक्स नं. (एम.आई.एन.) के साथ दी जानी चाहिए।

5. पोलिसी प्रभाव क्षेत्र

पोलिसी बीमाकृत व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती पर खर्च या बीमारी या जख्मी होने की स्थिति में बाह्य रोगी विभाग में खर्च के समय लागू होगी। यदि इस योजना के अन्तर्गत कोई दावा स्वीकार्य होता है तो कम्पनी बीमाकृत व्यक्ति को देश में कहीं भी उचित अथवा आवश्यक तौर पर किए गए खर्च की राशि का भुगतान करेगी, परन्तु यह राशि इस पुस्तिका की धारा 8 में लोगों की सूची में बताई गई श्रेणियों में बीमा राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. परिभाषाएँ

क) अस्पताल/नर्सिंग होम से तात्पर्य देश में स्थापित ऐसे किसी भी संस्थान से है जो बीमारों या जख्मियों की भर्ती के साथ इलाज करता हो और जो स्थानीय अधिकारियों के पास अस्पताल या नर्सिंग होम के तौर पर पंजीकृत हो तथा जो किसी पंजीकृत व प्रमाणित चिकित्सक की देखरेख में कार्य करता हो।

या

अस्पताल/नर्सिंग होम निम्नलिखित न्यूनतम मानकों के अनुरूप हो,

- उसमें बीमारों के लिए कम से कम 15 बिस्तरें हो। परन्तु 'सी' नगरों में बिस्तरों की संख्या घटाकर 10 कर दी गई है।
- उसके पास पूर्णतः सुसज्जित आपरेशन कक्ष हो जहाँ आपरेशन किए जाते हों,
- जहाँ 24 घण्टों के लिए पूर्ण योग्यताप्राप्त नर्सिंग स्टाफ हो।
- चौबीसों घण्टे पूर्णतः योग्य डॉक्टर मरीजों की देखभाल के लिए उपलब्ध हों।

बाह्य रोगी विभाग में इलाज के लिए "अस्पताल" से तात्पर्य है :

1. सरकारी अस्पताल

2. स्थानीय/अधिकारियों/नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे क्लीनिक/डिस्पेंसरी

3. सेल के कारखानों के अस्पताल

4. सेल/स्वीकृति प्राप्त अस्पताल/नर्सिंग होम (सेल के अस्पतालों की सूची पृष्ठ 12–17 पर है)

5. प्रमुख अस्पतालों जैसे अपोलो, मैक्स, एस्कोर्ट, फोर्टिस आदि से अधिकार प्राप्त अस्पताल।

टिप्पणी : "अस्पताल" में ऐसी कोई जगह शामिल नहीं होगी जो आराम या वृद्धों के लिए हो या नशा करने वालों, शराबियों के लिए हो, कोई होटल या ऐसा ही कोई स्थान हो।

(ख) आपरेशन से तात्पर्य अंगों की विकृति, खराबी दूर करने, जख्मों का इलाज करने, रोग का पता लगाने व निदान तथा कष्ट दूर करने व आयु बढ़ाने के उद्देश्य से हाथ से अथवा आपरेशन प्रक्रिया से किया जाता हो।

टिप्पणी :
1. ऐसी स्थिति में जब डायलिसिस, केमोथेरेपी, केटरेक्ट और माइक्रो सर्जरी किसी अस्पताल/नर्सिंग होम में कराई जाती है और रोगी को उसी दिन घर वापस भेज दिया जाता है तो यह इलाज अस्पताल लाभ के अन्तर्गत माना जाएगा।

2. अस्पताल में भर्ती देश के किसी भी अस्पताल या पंजीकृत नर्सिंग होम में हो सकती है, परन्तु बाह्य रोगी विभाग की सुविधा केवल सरकारी अस्पतालों/सेल के कारखानों के अस्पतालों, या इस पुस्तिका में बताए गए अस्पतालों में ही प्राप्त की जा सकती है।

(ग) बाह्य रोगी उपचार से तात्पर्य किसी सरकारी अस्पताल/सेल के कारखानों के अस्पतालों या सेल द्वारा स्वीकृत अस्पताल/नर्सिंग होम में बाह्य रोगी के रूप में कराए गए इलाज से है। किसी भी पंजीकृत चिकित्सक या सेल द्वारा स्वीकृत न किए गए अस्पताल/नर्सिंग होम में इलाज पर किए गए खर्च की पूर्ति नहीं ही जाएगी। डॉक्टर द्वारा दवाएं अस्पताल के लैटरहैड पर लिखी जानी चाहिएं। यदि डॉक्टर किसी सरकारी अस्पताल/सेल कारखाने के अस्पताल या सेल द्वारा स्वीकृत अस्पताल से सम्बद्ध है और इलाज निजी तौर पर करता है तो बाह्य रोगी उपचार व्यय की पूर्ति किसी भी हालत में नहीं की जाएगी।

(घ) कोई एक बीमारी : किसी एक बीमारी की स्थिति में यह माना जाएगा की बीमारी लम्बे समय तक के लिए है और इसमें डॉक्टर/अस्पताल/नर्सिंग होम में दिखाने के बाद 105 दिन के भीतर पुनः आवृत्ति शामिल होगी। यदि वही बीमारी ऊपर बताए गए 105 दिन के बाद होती है तो इसे बीमा के लिए नई बीमारी माना जाएगा।

(ङ) चिकित्सक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री/डिप्लोमा है जो भारत के सम्बद्ध राज्य की मेडिकल कौंसिल के साथ पंजीकृत है। चिकित्सक की परिभाषा में फिजिशियन, स्पेशलिस्ट तथा सर्जन शामिल होंगे।

(च) योग्यताप्राप्त नर्स से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त नर्सिंग कौंसिल का सर्टिफिकेट है और जो इलाज कर रहे चिकित्सकों की सिफारिश पर नियुक्त किया गया हो।

7. प्रभाव क्षेत्र से बाहर

सामूहिक मेडिक्लेम इन्श्योरेंस पोलिसी के अंतर्गत कंपनी बीमाकृत व्यक्ति को किसी भी प्रकार किए गए खर्च के सम्बन्ध में कोई अदायगी नहीं करेगी :
1. ऐसी कोई बीमारी जो युद्ध/आणविक अस्त्र/रेडिएशन/कानून के उल्लंघन के कारण हुई हो।
2. लिंग परत की कटाई, रूप सज्जा या प्लास्टिक सर्जरी जब तक उसकी जरूरत किसी दुर्घटना के कारण या बीमारी के भाग के तौर पर न हो।
3. सभी प्रकार की स्वास्थ्य जांच, सामान्य नेत्र जांच, चश्मे और कांटेक्स लेन्स पर खर्च।
4. नकली दांत।
5. चक्कर, सामान्य, अस्वस्थता, कमजोरी या आराम, लिंग दोष या प्रजनन, गुप्त रोग, जानबूझ कर स्वयं पर किया गया आघात तथा नशीली दवाओं का सेवन।
6. ऐसी कोई भी जांच जो जख्म/बीमारी/अस्वस्थता से मेल न खाती हो।
7. विटामिन और टॉनिक पर व्यय जब तक कि वे जख्म/बीमारी के इलाज के लिए न हों और इलाज कर रहे डॉक्टर द्वारा प्रमाणित न किए गए हों।
8. वह इलाज जो गर्भ धारण/शिशु जन्म, 12 महीनों के भीतर स्वैच्छा से गर्भ गिराने के कारण किया गया हो।
9. नेच्यूरोपेथी इलाज।

8. लाभ तालिका

8.1 अस्पताल में भर्ती पर लाभ

प्रति बीमा प्रति सदस्य को (कर्मचारी व उसकी पत्नी/पति अपने लाभ मिला सकते हैं) 1,50,000 रु. तक के वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसमें कमरे, आई.सी. यूनिट में बिताई गई अवधि, नर्सिंग व्यय, सर्जन, एनेस्थिसिया, चिकित्सक, परामर्शदाता, विशेषज्ञ की फीस, रक्त, ऑक्सीजन, आपरेशन थिएटर पर खर्च, ऑपरेशन के समय आवश्यक सामग्री, दवाइयां, जांच सामग्री, एक्स–रे, डायलिसेस, केमियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, पेस मेकर की लागत, कृत्रिम अंग और इसी प्रकार के अन्य व्यय शामिल हैं।

अस्पताल लाभ के अन्तर्गत दावे उसी स्थिति में स्वीकार्य हैं जब रोगी अस्पताल में कम से कम 24 घण्टों के लिए दाखिल रहा हो।

टिप्पणी :

अस्पताल भर्ती से पूर्व

बीमा अवधि के दौरान बीमारी होने पर अस्पताल में भर्ती से 30 दिन पूर्व के खर्च अस्पताल में भर्ती के लिए दावा माना जाएगा। परन्तु, भर्ती से पूर्व बाह्य रोगी विभाग में दी गई दवाइयों को अस्पताल में भर्ती के दावे नही ंमाना जाएगा।

अस्पताल में भर्ती के बाद

बीमारी/जख्मी होने पर अस्पताल में भर्ती होने के 60 दिन बाद की अवधि में किया गया चिकित्सा व्यय अस्पताल मे भर्ती पर दावा माना जाएगा। परन्तु अस्पताल से छुट्टी के बाद सामान्य बाह्य रोगी विभाग उपचार को अस्पताल भर्ती दावे में नहीं लिया जाएगा।

8.2 बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.)

1. बाह्य रोगी विभाग में उपचार में बीमा अवधि के लिए प्रति सदस्य को 4,000 रु. तक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

2. सदस्य निम्न में से किसी भी अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में उपचार करा सकते हैं।
   - सरकारी अस्पताल,
   - सेल कारखानों के अस्पताल,
   - सेल द्वारा स्वीकृत स्पताल/नर्सिंग होम (सूची संलग्न है)।

3. सेवानिवृत्त कर्मचारी व उसका परिवार (पत्नी/पति) किसी भी स्थिति में बीमा अवधि के दौरान 4,000/– की व्यक्तिगत प्रति व्यक्ति प्रति बीमा की राशि आपस में मिला नहीं सकेंगे।

4. सदस्य बाह्य रोगी उपचार सुविधा युक्त अस्पतालों में प्राप्त कर सकेंगे। यदि बाह्य रोगी उपचार सुविधा सेल के कारखानों के अस्पतालों में प्राप्त की जाती है तो सदस्यों को कोई भी खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। सेल कारखानों के अस्पताल सदस्य के उपचार पर खर्च का दावा इन्श्योरेंस कंपनी से करेंगे। इस संबंध में पैरा 6 (सी) का भी अवलोकन करें। यदि बाह्य रोगी उपचार सेल कारखानों के अस्पतालों से भिन्न सेल द्वारा स्वीकृत किसी अस्पताल में किया जाता है तो दावे चुने गए केन्द्र में यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी के पास दाखिल किए जाएंगे।

5. सूचीबद्ध अस्पतालों में प्राप्त बाह्य रोगी उपचार का दावा उस अस्पताल के लैटरहैड पर ही किया जाना चाहिए। यदि दवाइयां डॉक्टर के लैटरहैड पर लिखी गई, तो इसे प्राइवेट ओपीडी में उपचार माना जाएगा और उस खर्च के प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

9. दावा करने की प्रणाली

(ए) अस्पताल में भती

- इन्श्योरेंस कम्पनी को चुने हुए केन्द्र में दावे का नोटिस घायल होने/भर्ती होने के 7 दिन के भीतर भेज देना चाहिए। नोटिस में मेडिकल इन्डेक्स नम्बर बीमाकृत सदस्य का नाम, जख्म/बीमारी की प्रकृति, अस्पताल/नर्सिंग होम का नाम बताया जाना चाहिए। दावे की सूचना के पत्र का एक
- प्रतिरूप पृष्ठ 6 पर दिया गया है।
- दावा फार्म पूरी तरह भर कर पेश किया जाना चाहिए। उसमें कोई भी कालम खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए पृष्ठ–9 पर दिए गए प्रतिरूप का प्रयोग किया जा सकता है।
- इस पुस्तिका के पृष्ठ 5 पर किए गए पते में से चुने गए केन्द्र पर यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के निर्धारित कार्यालय के सभी बिल, चिकित्सा रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट, खून–मल–मूत्र रिपोर्ट व वास्तविक प्रेसक्रिप्शन, अस्पताल में भर्ती तथा वहाँ से छुट्टी का प्रमाणपत्र पंजीकृत डाक से भेजा जाना चाहिए। इनके साथ निर्धारित फार्म (प्रति रूप पृष्ठ 7 से 9) उपचार समाप्त होने के तुरन्त बाद अथवा अस्पताल से छुट्टी के 60 दिन के भीतर, जो भी पहले हो, भेज दिया जाना चाहिए।कृपया सुनिश्चित करें कि उपचार पंजीकृत चिकित्सा अस्पताल में ही कराया जाए। फिर भी यदि आपात स्थिति में यदि उपचार गैर पंजीकृत अस्पताल में कराया जाता है तो बीमा प्राप्त व्यक्ति के पास ऐसा करने का वैध कारण होना चाहिए और उसे इसकी सूचना तुरन्त इंश्योरेंस कम्पनी को पूर्ण विवरण के साथ देनी चाहिए। दावे के सभी दस्तावेज मूल रूप से दाखिल किए जाएं। फोटो कॉपी स्वीकार नहीं की जाएंगी। यह भी ध्यान रहे कि अस्पताल में भर्ती के दावे के साथ जो दाखिल बिल/रिपोर्ट यदि उस अस्पताल/नर्सिंग होम के नहीं है। जहाँ सदस्य भर्ती हुआ था और वे उपचार कर रहे डॉक्टर कीसलाह/प्रेसक्रिप्शन नहीं है तो ऐसे बिल/रिपोर्ट उपचार कर रहे डॉक्टर द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिएं।
- सम्बद्ध दस्तावेजों तथा अस्पताल से छुट्टी के वाउचर के साथ पूरी तरह से भरे गए फार्म मिलने पर इंश्योरेंस दावे पर कार्रवाई करेगी। यदि दस्तावेज ठीक ओर अन्य सूचनाएं पूरी पाई गईं तो दावे का निपटान कर जल्दी से जल्दी, सामान्यतः इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा उल्लिखित सभी दस्तावेज मिलने के 15 दिन के भीतर चैक डाक द्वारा भेज दिया जाएगा। 1000/– रु. से अधिक के चैक रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाएंगे। दावेदार स्वयं अथवा दावेदार द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति भी ये चैक ले सकता है।

(ख) बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) चिकित्सा

- बाह्य रोगी विभाग में चिकित्सा के लिए दावे यूनाइटेड इंडिया के सम्बद्ध कार्यालय में निम्न के साथ दाखिल किए जाने चाहिएं।
- पूरी तरह भरा गया ओपीडी दावा फार्म (प्रतिरूप पृष्ठ 10 पर)
- डॉक्टर की सभी प्रेस्क्रिप्शन
- दवाइयों और जांच परीक्षाओं की सभी रसीद
- जांच परीक्षाओं की रिपोर्ट

उल्लिखित सभी दस्तावेजों की मूल प्रति क्रमानुसार तथा एक साथ बांधकर व स्टेपल कर जमा की जानी चाहिए।

- दन्त चिकित्सा पर व्य की भी ओपीडी चिकित्सा के अन्तर्गत पोलिसी में प्रति सदस्य 4000/– रु. की सीमा राशि में प्रतिपूर्ति की जा सकती है। नकली दांतों की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
- नेत्र चिकित्सा के मामले में चश्मों और कांटेक्ट लेंसों की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
- यदि किसी पोलिसी अवधि में खर्च 1000/– रु. प्रति व्यक्ति प्रति पोलिसी अवधि से बढ़ जाता हैतो बाह्य रोगी दावे पोलिसी धारक को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के सम्बद्ध कार्यालय में इलाज समाप्त होने के 15 दिन के भीतर जमा कर देने चाहिएं। दूसरे शब्दों में, ऐस`सदस्यों को, जिनकी बाह्य रोगी प्रतिपूर्ति पूरी पोलिसी अवधि में 1000/– से अधिक नहीं है,
- पोलिसी समाप्त के 15 दिन अर्थात् अगले वर्ष की 15 जनवरी तक 1000/– का न्यूनतम दावा कर
- लेना चाहिए। निर्धरित समय सीमा में न किए गए दावों की प्रतिपूर्ति के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं
- होगी।
- कान के इलाज में श्रवण उपकरण की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

(ग) दावे के सम्बद्ध में किसी विवाद की स्थिति में निपटाने के लिए सेल अधिकारियों तथा इंश्योरेंस कम्पनी की एक समिति गठित की जाएगी। इस समिति का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्य होगा। पोलिसी के सभी सदस्यों के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपनी शिकायत पहले समिति के सामने रखें तथा उचित समय तक उसके निर्णय की प्रतीक्षा करें। समिति योजना के किसी भी सदस्य द्वारा उसके पास भेजी गई प्रत्येक शिकायत या विवाद के बारे में अपने निर्णय के कारणों की विवेचना करेगी।

(घ) नौ केन्द्रों में सम्बद्ध कार्यालयों/अधिकारियों की जानकारी नीचे दी गई है :

1. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर
   यूनाइटेड इंश्योरेंस कं. लिमिटेड
   डिवीजनल ऑफिस नं. ₹
   ई–85, 8वीं मंजिल, हिमालय हाउस
   कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001
   फोन : (011) 23310375, 23325769 फैक्स : 23353698

2. डिवीजनल मैनेजर
   यूनाइटेड इंश्योरेंस कं. लिमिटेड
   डिवीजनल ऑफिस–ए तारापुर टावर्स,
   7वीं मंजिल, अन्नासलाई, चेन्नई–600001
   फोन : 28584785/28584788 फैक्स : 28584788

3. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर
   यूनाइटेड इंश्योरेंस कं. लिमिटेड
   डिवीजनल ऑफिस नं. 7
   102/ए, अरविन्दो सरनी, हाथी बागान,
   कोलकाता–700006
   फोन : (033) 25330524, 25557424 फैक्स : (033) 25557423

4. ब्रांच मैनेजर
यूनाइटेड इंश्योरेंस कं. लिमिटेड
तारा कॉम्प्लेक्स, पहली मंजिल,
प्रोजेक्ट ऑटोमोबाइल जी.ई. रोड के सामने,
पावर हाउस, भिलाई–490011
फोन : (0788) 2296872, 2296873

5. डिवीजनल मैनेजर
यूनाइटेड इंश्योरेंस कं. लिमिटेड
डिवीजनल ऑफिस–15,
तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग,
दूसरी मंजिल, सिटी सेन्टर,
दुर्गापुर–713216
फोन : (0343) 2546875 फैक्स : 2546872

6. ब्रांच मैनेजर
यूनाइटेड इंश्योरेंस कं. लिमिटेड
ब्रांच ऑफिस,
पहली मंजिल, आर.के. क्लीनिक
उदित नगर, राउरकेला–769012
फोन : (0661) 2508171

7. डिवीजनल मैनेजर
यूनाइटेड इंश्योरेंस कं. लिमिटेड
ए–17, सिटी सेन्टर, सैक्टर–प्टए
बोकारो स्टील सिटी, बोकारो–827004
फोन : 06542–232164 टेलेक्स : 231732

8. डिवीजनल मैनेजर
डी.ओ.–८
यूनाइटेड इंश्योरेंस कं. लिमिटेड
"श्रीरंगा" 104–ए, दूसरी मंजिल,
पेरामनूर, मेन रोड, सेलम–636007
फोन : (0427) 2419325, 2418350 फैक्स : (0427) 2416180

9. डिवीजनल मैनेजर
यूनाइटेड इंश्योरेंस कं. लिमिटेड
दूसरी मंजिल, 37, जी.टी. रोड (ईस्ट) बुर्दवान,
आसनसोल, जिला बुर्दवान–713301
फोन : (0341) 2202702, 2204893 फैक्स : (0341) 2202702

सेल निगमित कार्यालय नई दिल्ली में मेडिक्लेम योजना से सम्बद्ध अधिकारी निम्नलिखित हैं :

श्री भीम सेन
(उप महाप्रबंधक) (कार्मिक)
फोन : 011–24367231 / 24300314

श्री वाई.पी. मनचन्दा
उप प्रबंधक (कार्मिक)
011–24300329 / 24367481, एक्स. 329

दावा सूचना पत्र

सेवा में, दिनांक : ....

....
वरिष्ठ/डिवीजनल मैनेजर
यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस क. लि.
....
....
....
महोदय,

विषय : एमआईएन सं. ....

आपको सूचित किया जाता है कि मैं अस्पताल में भर्ती हो गया हूँ। विवरण नीचे दिया जा रहा है :

1) बीमाकृत सदस्य का नाम : ....
2) टेलीफोन नं. : ....
3) चोट/बीमारी की प्रकृति : ....
4) अस्पताल का नाम व पता : ....
....
5) अस्पताल में भर्ती की तारीख : ....

धन्यवाद

भवदीय
नाम : ....
पत्र व्यवहार के लिए पूरा पता :
....
....
टेलीफोन नं. ....

नमूना

जारी करने वाला कार्यालय :

यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कं. लिमिटेड

अस्पताल भर्ती लाभ पोलिसी दावा फार्म

दावा संख्या ..../............./...........
केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

कृपया सभी कालम भरें, कोई छोड़ें नहीं। जहाँ आवश्यक न हो "एन.ए." लिखें।

1. बीमाकृत व्यक्ति का नाम : ....
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) उपनाम नाम

2. इलाज करा रहे व्यक्ति का विवरण : ....
क) नाम : ....
ख) जन्म तिथि : ....
ग) घर का पता : ....
घ) टेलीफोन नं. : ....

3. एमआईएन संख्या (अपना) : ....
एम आई एन नं. (अपने पति/पत्नी का) : ....

4. बीमारी/रोग/चोटी की प्रकृति : ....

5. क) अस्पताल/नर्सिंग होम का

नाम व पता : ....

पंजीकरण संख्या .... राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश ....

ख) भर्ती होने की तारीख : ....

ग) अस्पताल से छुट्टी की तारीख : ....

मैंने उल्लिखित रोग/बीमारी/दुर्घटना के इलाज पर पीछे दी गई व्यय अनुसूची के अनुरूप खर्च किया है।

उक्त दावे के समर्थन में मैं निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ संलग्न कर रहा हूँ :

1. बिल, खरीद और अस्पताल से छुट्टी का प्रमाणपत्र/कार्ड।

2. अस्पताल/केमिस्ट(टों) से कैश मीमो और उनसे सम्बद्ध उचित प्रेसक्रिप्शन।

3. रक्त, मूल–मूत्र जांच रिपोर्ट।

4. सर्जन का सर्टिफिकेट जिसमें किए गए ऑपरेशन की प्रकृति बताई गई हो।

5. उपचार करने वाले डॉक्टर/परामर्शदाता/विशेषज्ञ एनास्थेटिस्ट की रिपोर्ट।

6. एक रुपये के राजस्व टिकट पर हस्ताक्षरित छुट्टी का वाउचर (प्रतिरूप पृष्ठ 11 पर दिया गया है)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर बताए/दी गई सूचनाएँ हर दृष्टि से सत्य हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने बीमा की किसी और योजना या मेरे रोजगारदाता की किसी योजना से कोई दावा नहीं किया है।

दिनांक : दावेदार के हस्ताक्षर

एम आई एन नं. | दावा संख्या ....
(यदि आबंटित हो तो)

दावेदार द्वारा किए गए खर्च की अनुसूची

(बिल विवरण के लिए अलग से पृष्ठ संलग्न करें)

अस्पताल में भर्ती के लिए किए गए खर्च के दावे | दावे की राशि

(समर्थन के लिए बिल/रसीद, कैश मीमों आदि दें)

1. अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व लाभ
(अस्पताल में भर्ती होने से 30 दिन पहले)

2. अस्पताल भर्ती लाभ

3. अस्पताल से छुट्टी के पश्चात् लाभ (छुट्टी से 60 दिन तक)

कुल

दिनांक : | स्थान : | दावेदार के हस्ताक्षर

यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कं. लिमिटेड
ओ पी डी उपचार दावा फार्म

1. नाम : ....

2. एम आई एन : ....

3. पता : ....

4. टेलीफोन नं. : ....

5. बीमारी की प्रकृति : ....

6. बीमारी की अवधि : ....

7. किया गया खर्च — राशि — बिल संख्या — बिल की तारीख

   क) परामर्श के लिए :

   ख) दवाइयों के लिए :

   ग) खून, मल–मूत्र आदि की

      जांच के लिए :

      अन्य परीक्षण :

मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना सत्य हैं तथा मैंने उक्त खर्च की प्रतिपूर्ति किसी अन्य स्त्रोत से नहीं की है।

स्थान : ....

बीमाकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनांक : ....

नोट : कृपया दावा फार्म के साथ निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति संलग्न करें :
क) सेल से मान्यताप्राप्त / सरकारी अस्पताल का ओ पी डी कार्ड

ख) कैमिस्ट / नर्सिंग होम बिल / रसीद

ग) सभी पैथोलॉजी व अन्य परीक्षणों की रिपोर्ट और यदि हो तो बिल

घ) हस्ताक्षरित अस्पताल से छुट्टी का वाउचर (प्रतिरूप पृष्ठ 11 पर) इन सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ भेजें। फोटो कॉपी स्वीकार नहीं की जाएंगी।

यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड **जारीकर्ता कार्यालय :**

(पंजीकृत कार्यालय एवं मुख्य कार्यालय : 24, व्हाइट रोड, चेन्नई–600014
भुगतान वाउचर
कार्यालय : डॉक कोड

भुगतान संख्या :
दिनांक :
बैंक खाता कोड :

.... को भुगतान करें
.... के लिए

एमआईएन नं. ....

क्रम संख्या	विभाग–पोलिसी कोड, वर्ष संख्या	टीआर कोड	एण्ड/रेन वर्ष नं. टी पी	राशि नाम	राशि जमा	खाता मुख्य	कोड उप	सीएल कोड	इन्सप. कोड	एनओएल कोड
01.										
02.										
03.										
04.										
05.										

स्वीकृति

द्वारा अधिकृत एएओ एओ सहा./उप प्रबंधक प्रबंधक एजीएम जीएम

यदि राशि 5000/– रु. से अधिक है तो 1 रु. का रसीदी टिकट लगाएं

यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेंस क. लि. से सधन्यवाद .... रु. प्राप्त किए।
चैक संख्या
बैंक दिनांक कोषाध्यक्ष प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

सेल मेडिक्लेम योजना के अन्तर्गत

ओ पी डी उपचार के लिए

सेल द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पतालों की सूची

(दिसम्बर, 2007 में संशोधित)

आन्ध्र प्रदेश

1. अपोलो अस्पताल, हैदराबाद
2. अपोलो समुद्रा अस्पताल, काकीनाड़ा
3. बोल्लीनेली रामानैया मेमोरियल अस्पताल, नेल्लोर
4. अघवा रत्ना टावर्स, चिराग अली लेन, हैदराबाद–500001
5. सीडीआर अस्पताल, हैदराबाद
6. केयर अस्पताल, मेन रोड, काकीनाड़ा
7. केयर अस्पताल, हैदराबाद
8. सिटी केयर अस्पताल, हैदराबाद
9. ग्लोबल मेडिकल सेन्टर, विजयवाड़ा
10. जया डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेन्टर लिमिटेड, मेडविन अस्पताल
11. के.जी. अस्पताल, विशाखापत्तनम
12. एनएल प्रसाद आई अस्पताल, विजयवाड़ा
13. पिन्नामानेनी केयर अस्पताल, विजयवाड़ा
14. सौम्या अपोलो अस्पताल, विजयवाड़ा
15. सेंट एन्न'स अस्पताल, विजयवाड़ा
16. विजेता अस्पताल, विजयवाड़ा
17. यशोदा अस्पताल एवं मेडिसिटी अस्पताल, हैदराबाद

असम

1. इन्टरनेशनल हॉस्पिटल, गुवाहाटी

बिहार एवं झारखण्ड

1. अपोलो अस्पताल, आईआरबीए, रांची
2. आनन्दलोक अस्पताल, रानीगंज
3. बीसीसीएल अस्पताल, धनबाद
4. कैंसर अस्पताल, जमशेदपुर
5. सीसीडब्ल्यूओ अस्पताल सरियाधेला, धनबाद
6. डीएमसीएच, दरभंगा
7. गुरुनानक अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, स्टेशन रोड, रांची
8. होली फैमिली अस्पताल, कुरजी, पटना
9. हॉस्पिटल फॉर मेन्टल डिज़ीज़, रांची
10. इंदिरा गांधी आयुर संस्थान, सेखपुर, पटना
11. इस्पात अस्पताल, मेकॉन, रांची
12. महादेवी बिरला टी बी सेनेटोरियम, रांची
13. मारवाड़ी सेवा सदन, रांची

14. मिशन अस्पताल, बरिआतु, रांची
15. मिशन अस्पताल, हजारीबाग
16. नगर मल मोदी सेवा सदन, रांची
17. नेताजी आई अस्पताल, पुरुलिया
18. पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, डुमरी, गिरिडीह
19. पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना
20. राजेन्द्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रांची
21. राम जानकी अस्पताल, दरभंगा
22. आर.बी. मेमोरियल अस्पताल, दरभंगा
23. रेफेरल अस्पताल, पी.ओ. जैनामोर, जिला बोकारो
24. आर.के. मिशन टी बी सेनेटोरियम, रांची
25. राज अस्पताल निदान–मेन रोड, रांची
26. स्टेट रेफेरल हॉस्पिटल, डुमरी, गिरीडीह
27. टाटा मेन हॉस्पिटल, जमशेदपुर
28. टेल्को अस्पताल, जमशेदपुर

दिल्ली

1. आनन्द हेल्थ केयर प्रा. लि.
   21, कम्यूनिटी सेन्टर, प्रीति विहार,
   दिल्ली–110051
2. अपोलो इन्द्रप्रस्थ अस्पताल, मथुरा रोड,
   नियर सरिता विहार, नई दिल्ली
3. आर्य वैद्यशाला, (कोट्टकल), साउथ एक्स.,नई दिल्ली
4. आयुष्मान अस्पताल, द्वारका
5. सेल द्वारा नियुक्त सभी डॉक्टर्स
6. बतरा अस्पताल एवं मेडिकल रिसर्च सेन्टर,
   ओखला रोड, नई दिल्ली–110005
7. भाटिया ग्लोबल अस्पताल, पश्चिम विहार,
   नई दिल्ली
8. भगवती अस्पताल, रोहिणी, दिल्ली
9. दीपक मैमोरियल अस्पताल एवं मेडिकल रिसर्च सेन्टर,
   6, इंस्टीट्यूशनल एरिया, विकास मार्ग एक्स., दिल्ली–110092
10. धर्मशिला कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, वसुन्धरा इन्कलेव, दिल्ली–110096
11. डॉ. बी.एल. कपूर मैमोरियल अस्पताल, पूसा रोड, नई दिल्ली–110005
12. डॉ. गुप्ता नर्सिंग होम एवं अस्पताल, 25, राज ब्लॉक, नवीन शाहदरा, दिल्ली–110032
13. ईस्ट वेस्ट मेडिकल सेन्टर, प्रा. लि.
14. एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेन्टर, ओखला रोड, नई दिल्ली–110025
15. गुजरमल मोदी हॉस्पिटल एडं रिसर्च सेन्टर फॉर मेडिकल साइंसेस, मंदिर मार्ग, साकेत, नई दिल्ली–110017
16. होली फैमिली अस्पताल, ओखला रोड, नई दिल्ली–110007
17. इंडियन स्पाइनल इंजरीज़ सेन्टर, सेक्टर–सी, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070
18. जयपुर गोल्डन अस्पताल, 2 इंस्टीट्यूशनल एरिया, रोहिणी, दिल्ली
19. जीवन अनमोल अस्पताल, मयूर विहार
20. खेड़ा अस्पताल, पाण्डव नगर, नारायणा रोड, नई दिल्ली–110008
21. कोलमेट हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेन्टर, 7–बी, पूसा रोड, नई दिल्ली–110005
22. लायन्स हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, लायन्स सर्विस ट्रस्ट,
    जिला 321–ए, गांव खिज़्राबाद, (नियर फ्रैण्ड्स कालोनी), नई दिल्ली–110065
23. माता चानन देवी हॉस्पिटल, सी–1, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058

24. महिन्द्रा अस्पताल, सी–5, ग्रीन पार्क एक्स., नई दिल्ली–110016
25. मूलचन्द खैराती राम अस्पताल लाजपत नगर, पार्ट–III, नई दिल्ली
26. महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल अस्पताल, रोहतक रोड, पंजाबी बाग, नई दिल्ली
27. नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, 49, कम्यूनिटी सेन्टर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–110016
28. ऑर्थोनोवा इंस्टीट्यूट ऑफ एड्वांस्ड सर्जरी एंड रिसर्च सेन्टर,
    23, एलएससी, मदनगीर, नई दिल्ली–110062
29. पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर लीवर, रेनॉल एंड डाइजेस्टिव डिसीज़,
    प्रैस इन्क्लेव मार्ग, शेख सराय, फेज–II, नई दिल्ली
30. रेटीना एसोसिएट्स आई इंस्टीट्यूट, ई–584, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–110018
31. संजीवन अस्पताल, 24, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली–110002
32. सेठ प्रभु दयाल गुप्ता चैरिटेबिल अस्पताल, 372, वसंत विहार, नई दिल्ली
33. शान्ति मुकुन्द अस्पताल, 2, इंस्टीट्यूशनल एरिया, विकास मार्ग एक्स., दिल्ली–110092
34. श्री राम मेडिकलसेन्टर, ए–711, सरिता विहार, नई दिल्ली–110052
35. सेंट स्टीफन अस्पताल, तीस हजारी
36. सर गंगा राम अस्पताल, गंगा राम अस्पताल मार्ग, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली–110060
37. साउथ पाइंट अस्पताल, जी–48, मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–110048
38. सुन्दर लाल जैन चैरिटेबल अस्पताल, अशोक विहार, फेज–III, दिल्ली–110052
39. स्वास्तिक मेडिकल सेन्टर, सी–164, आनन्द विहार, दिल्ली–110092
40. सन्त परमानन्द अस्पताल, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली
41. श्राफ आई सेन्टर,
    क) सूर्या किरन बिल्डिंग, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली
    ख) ए–9, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली
42. त्यागी नर्सिंग होम, 66/3 अशोक नगर, नई दिल्ली–18
43. तीरथ राम शाह अस्पताल, 2, बैटरी लेन, राजपुर रोड, दिल्ली–110054
44. वसन्त लोक अस्पताल, नई दिल्ली
45. वेणु आई इंस्टीट्यूट, सी–40, साउथ एक्स. II, नई दिल्ली–110049
46. विद्या सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, (विमहंस), नई दिल्ली
47. वालिया नर्सिंग होम, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली
48. डॉ. पटनायक, लेज़र आई इंस्टीट्यूट, लाजपत नगर, नई दिल्ली

गोवा

1. अपोलो विक्टर अस्पताल, मड़गांव
2. मनीपाल गोवा कैंसर एंड जनरल हॉस्पिटल, डॉ. ई. बोरगस रोड, बोनापावला–4

गुजरात

1. भाईलाल अमीन जनरल अस्पताल, भाईलाल अमीन मार्ग, (अलेम्बिक के सामने) वड़ोदरा–390003
2. डॉ. जीवराज मेहता स्मारक हैल्थ फाउंडेशन मेडिकल रिसर्च सेन्टर, अहमदाबाद
3. मायो अस्पताल, सावली रोड, हरनी, वड़ोदरा–22
4. एम.पी. शाह कैंसर अस्पताल, अहमदाबाद
5. आर.जी स्टोन क्लीनिक, अहमदाबाद

हरियाणा

1. अल्कैमिस्ट अस्पताल, पंचकूला
2. आर्क अस्पताल, डीएलएफ–I, गुड़गांव
3. भारत अस्पताल, सेक्टर–14, सोनीपत
4. दिल्ली हॉस्टिपल एंड नर्सिंग होम, बहादुरगढ़
5. धवन अस्पताल, पंचकूला

6. एस्कॉर्ट्स अस्पताल सेन्टर, फरीदाबाद
7. जिन्दल स्टील से जुड़ा अस्पताल, हिसार
8. जानकी दास कपूर मेमोरियल अस्पताल, सोनीपत
9. जे.पी. अस्पताल, जगाधरी रोड, यमुनानगर
10. एम.पी. हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सुशान्त लोक, गुड़गांव
11. परिवात अस्पताल, डीएलएफ कुतुब इन्कलेव
12. पारस अस्पताल, गुड़गांव
13. सत्य ओम नेत्र एंड मेटरनिटी अस्पताल, सोनीपत
14. उमा संजीवनी हेल्थ सेन्टर प्रा. लि., महरौली गुड़गांव रोड, गुड़गांव
15. उमकल अस्पताल, गुड़गांव

कर्नाटक

1. बंगलौर इंस्टीट्यूट ऑफ डेन्टल साइंस एंड हॉस्पिटल, बंगलौर–29
2. बसप्पा मेमोरियल अस्पताल, मैसूर
3. सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो–साइंस, बंगलौर
4. चिनमाया मिशन अस्पताल, बंगलौर
5. इनोवेटिव डेन्टल एंड मेडिकल पोली केयर सेन्टर, बंगलौर
6. कस्तूरबा अस्पताल, मनीपाल
7. केएमसी अस्पताल, बंगलौर
8. माल्या अस्पताल, बंगलौर
9. मनीपाल अस्पताल, बंगलौर
10. मनीपाल हार्ट फाउंडेशन, बंगलौर
11. मेन्टल हॉस्पिटल, बंगलौर
12. मॉडल आई क्लीनिक एंड नर्सिंग होम, बंगलौर
13. नेत्रधाम सुपरस्पेशियेलिटी आई हॉस्पिटल, बंगलौर
14. श्री सत्य साईं अस्पताल, बंगलौर–38
15. सेंट मारथस अस्पताल, बंगलौर
16. दी बंगलौर हॉस्पिटल, 202, राष्ट्रीय विद्यालय रोड, बंगलौर–560004
17. विट्टल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपथेल्मोलॉजी, बंगलौर
18. वोखार्ड हॉस्पिटल, बंगलौर–52
19. रामिया अस्पताल, बंगलौर
20. सेंट जोंस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, बंगलौर

केरल

1. अमला कैंसर अस्पताल, त्रिचूर
2. अंगदी, रानी, जिला पठानम, थिटा
3. ए.जे. हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मंगलौर
4. अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, कोचीन–26
5. आर्य वैद्यशाला (कोट्टकल), एम.जी. रोड, कोचीन–682016
6. अश्विनी अस्पताल, नॉर्थ बस स्टैण्ड, त्रिचूर
7. बैडी मेमोरियल अस्पताल, कालीकट
8. सैन्चुरी अस्पताल, मुलाकुझा
9. क्रिश्चियन मिशन हॉस्पिटल, पो.ओ. पंडालम, चेंगान्नूर
10. को–ऑपरेटिव अस्पताल, कन्नूर
11. इलीट मिशन हास्पिटल, त्रिचूर
12. एरनाकुलम मेडिकल सेंटर, कोचीन
13. जनरल अस्पताल, त्रिवेंद्रम
14. गिरिधर आई इंस्टीट्यूट, कोची
15. होली क्रॉस मल्टी–स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, कोट्टायम, कोल्लम

16. इंदिरा गांधी को–ऑपरेटिव अस्पताल, कोचीन
17. इंदिरा गांधी को–ऑपरेटिव अस्पताल, कन्नूर
18. जुबली मिशन अस्पताल, ईस्ट फोर्ट, त्रिचूर
19. कारीथस अस्पताल, कारीथस, कोट्टायम (जिला)
20. के.पी.एम. आई हॉस्पिटल, हॉस्पिटल रोड, कोचीन–682011
21. कोटकट्टू मेडिकेयर अस्पताल, ईरावीचेरूर
22. लाल मेमोरियल अस्पताल, इरिंजलकुडा
23. लिज़ी अस्पताल, कोची
24. लॉड्स अस्पताल, कोची
25. मारथोमा मेडिकल मिशन हॉस्पिटल, पत्तनमतिट्टा
26. मेडिकल ट्रस्ट हॉस्पिटल, कोची
27. मारुति अस्पताल, त्रिची
28. मुथूट मेडिकल मिशन अस्पताल, पत्तनमतिट्टा
29. मुथूट मेडिकल मिशन अस्पताल, कोजेनचेरी
30. पालना अस्पताल, कनादी पलक्कड़
31. मेन्टल अस्पताल, त्रिवेन्द्रम
32. मदर अस्पताल, त्रिवेन्द्रम
33. मार जी वर्जीज़ डायनोसियस मेमोरियल अस्पताल, देवगिरी, कोट्टयम जिला
34. एन.एस.एस. मेडिकल मिशन अस्पताल, पांडलम
35. ओजस क्लीनिक एंड नर्सिंग होम, मुलस्सरी केनेल रोड, कोची–682035
36. पालट मेमोरियल अस्पताल, वेस्ट फोर्ट रोड, पलक्कड़
37. पुष्पगिरी अस्पताल, तिरुवल्ला जिला
38. पी.वी.एस. अस्पताल, कलूर रोड, कोची–682035
39. समरीतन अस्पताल त्रिवेन्द्रम
40. सेंट थॉमस मिशन हॉस्पिटल, एल्लेप्पी
41. सेंट ग्रेगोरियस कार्डियो–वेस्कुलर सेन्टर, पारुमाला
42. एस.एस.एम. अस्पताल, पो.ओ. कोल्लम
43. सेन जो, अस्पताल, पेरुम्बवूर
44. एस.एच. मेडिकल सेन्टर, नगमपादम, कोट्टयम (जिला)
45. श्रीचित्रा तिरुमाक मेडिकल सेन्टर
46. श्री उत्रादोम थिरुनाल हॉस्पिटल, पोट्टम, त्रिवेन्द्रम–4
47. त्रिचूर हार्ट हॉस्पिटल, त्रिचूर
48. थंगम हॉस्पिटल ऑफ पीएमआरसी, पलक्कड़
49. त्रिचूर हार्ट हॉस्पिटल, त्रिचूर
50. तिरुवल्ला मेडिकल मिशन, पत्तनमतिट्टा
51. वीएसएम हॉस्पिटल, तत्तारम बलम, मावेलिकारा, अलापुजा जिला
52. वेलकेयर अस्पताल, वीईपी रोड, पलक्कड़

मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

1. बॉम्बे अस्पताल, इन्दौर
2. कॉयथम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, माणिक बाग रोड, इन्दौर
3. डी.के. अस्पताल, रायपुर
4. जी.आर. मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर
5. जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जबलपुर
6. कस्तूरबा हॉस्पिटल (बीएचईएल), भोपाल
7. एम.वाई. हॉस्पिटल, इन्दौर
8. मॉर्डन मेडिकल इंस्टीट्यूट, रायपुर
9. पीएसएस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, उज्जैन
10. पुष्पा मिशन अस्पताल, उज्जैन

11. विंध्याचल अस्पताल (एनटीपीसी), विंध्यनगर

महाराष्ट्र

1. आर्टिफिशियल लिम्ब सेन्टर, पुणे
2. बॉम्बे अस्पताल, मुम्बई
3. बी.जे. वाडिया अस्पताल, मुम्बई
4. सेन्ट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, 88/2, बजाज नगर, नागपुर–440010
5. जी.टी. अस्पताल, मुम्बई
6. डॉ. डी.वाई. पाटिल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नवी मुम्बई
7. हिन्दुजा अस्पताल, माहीम, मुम्बई
8. जसलोक अस्पताल, मुम्बई
9. जे.जे. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, मुम्बई
10. के.ई.एम. हॉस्पिटल, पुणे
11. के.ई.एम. हॉस्पिटल, मुम्बई
12. लोक अस्पताल, थाणे, महाराष्ट्र
13. मेन्टल हॉस्पिटल, नागपुर
14. मेडीपाइंट अस्पताल, पुणे
15. नायर अस्पताल, मुम्बई
16. नानावटी अस्पताल, मुम्बई
17. एन.एम. वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, पुणे
18. जहांगीर अस्पताल, पुणे
19. आर.जी. स्टोन क्लीनिक, मुम्बई
20. स्टर्लिंग अस्पताल, वाशी मुम्बई
21. टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुम्बई
22. टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई

उड़ीसा

1. अपोला अस्पताल, जिला भुवनेश्वर
2. सीडीआर अस्पताल, नायपल्ली, भुवनेश्वर, उड़ीसा
3. कलिंगा अस्पताल, जिला भुवनेश्वर
4. एम.के.सी.जी. मेडिकल कॉलेज, बहरामपुर, जिला गंजम
5. एस.सी.बी मेडिकल कॉलेज, कटक
6. वी.एस.एस. मेडिकल कॉलेज, बुरला, जिला सम्बलपुर

पंजाब

1. अनिल बागी अस्पताल, फिरोजपुर, पंजाब
2. सीएमसी अस्पताल, लुधियाना, पंजाब
3. मॉर्डन अस्पताल, होशियारपुर, पंजाब
4. सोनी अस्पताल, गुरुनानक कालोनी, राजपुरा
5. पटेल अस्पताल प्रा.लि. सिविल लाइन्स, जालन्धर
6. फोर्टिस अस्पताल, एसएएस नगर, मोहाली, चण्डीगढ़
7. इन्सकोल, सेक्टर–34, चण्डीगढ़
8. सीएमसी अस्पताल, चण्डीगढ़

राजस्थान

1. गोयल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर प्रा.लि., जोधपुर

2. इन्द्रप्रस्थ अपोला अस्पताल, अलवर
3. सेठ प्रबीर दयाल गुप्ता चैरिटेबल अस्पताल, 372, वसन्त विहार, सिन्हा नर्सिंग होम, भवन, अलवर
4. एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर

तमिलनाडु

1. अपोलो अस्पताल, चेन्नई
2. अपोलो अस्पताल, लेक व्यू रोड, मदुरई
3. अरविन्द आई हॉस्पिटल, अन्ना नगर, मदुरई
4. बी.एस.एस. हॉस्पिटल, 179/1, आर.के. मट्ट रोड, मानदवेली, चेन्नई–600028
5. बोस अस्पताल, 46, सीएमआर रोड, मदुरई
6. श्री रामचन्द्र अस्पताल, 1, रामचन्द्र नगर, पोरुर, चेन्नई
7. इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, को–ऑपरेटिव सोसाइटी, हॉस्पिटल, चेन्नई
8. कोटारक्कल आर्य वैद्यशाला, कोयम्बटूर
9. कैसर इंस्टीट्यूट, चेन्नई
10. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वेल्लोर
11. ईस्ट कोस्ट हॉस्पिटल, पोंडिचेरी
12. गंगा मेडिकल सेन्टर एंड हॉस्पिटल प्रा.लि., स्वर्णाम्बिका लेआउट, कोयम्बटूर–641009
13. जनरल अस्पताल, चेन्नई
14. विजया अस्पताल, आर.एस. पुरम, कोयम्बटूर
15. के.जी. अस्पताल, उपलीप्पलयम, कोयलम्बटूर
16. के.जे. अस्पताल, चेन्नई
17. मलार अस्पताल, चेन्नई
18. मद्रास जनरल अस्पताल, चेन्नई
19. मीनाक्षी मिशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर, लेक व्यू, मेलूर रोड
20. नटराज अस्पताल, कांची कामाकोटी ट्रस्ट, चेन्नई
21. रेलवे हैडक्वार्टस हॉस्पिटल, पेराम्बूर, चेन्नई
22. राम कृष्णा अस्पताल, कोयम्बटूर
23. आर.एस.आर ट्रिनिटी एक्यूट केयर हॉस्पिटल, 33, दसिका रोड, अलवरपेट, चेन्नई–400004
24. सी हॉर्स हॉस्पिटल लि., त्रिची
25. शंकर नेत्रालय, चेन्नई
26. श्री गोकुलम अस्पताल, सेलम
27. सुन्दरम मेडिकल फाउंडेशन, चेन्नई
28. तमिलनाडु हॉस्पिटल्स, 439, चेरन नगर, पेरुमबक्कम, चेन्नई–641045
29. दी आई फाउंडेशन, 55–56, सुब्रमनियम रोड, आर.एस. पुरम, कोयम्बटूर–641045
30. वेदनायकम् हॉस्पिटल, आर.एस. पुरम
31. विजय अस्पताल, चेन्नई
32. कोयम्बटूर अरयु विद्यु (फार्मेसी), चिकित्सालयम, कोयम्बटूर
33. सेंट ईसाबेल अस्पताल, ओलिवर रोड, मयलापोर, चेन्नई
34. रामचन्द्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई

उत्तर प्रदेश

1. अग्रवाल आई हॉस्पिटल एंड डेन्टल केयर सेन्टर ए–371, सेक्टर–19, नौएडा
2. बी.एच.यू. हॉस्पिटल, जिला वाराणसी
3. डॉ. आर.एस.जी. (इण्डो जर्मन) मेडिकल सेन्टर, आर–14/17, राज नगर, गाजियाबाद–2001001
4. आई हॉस्पिटल, सीतापुर
5. गांधी आई हॉस्पिटल, अलीगढ़
6. गणेश अस्पताल, गाजियाबाद
7. जसमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, आगरा
8. जे.एन. मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़
9. जशोदा स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, कौशाम्बी
10. कैलाश हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, लि., 11–33, सेक्टर–27, नौएडा
11. कीर्ति मेडिकल सेन्टर, ए–681, सेक्टर–19, नौएडा, फोन : 4526788
12. मेट्रो मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, एल–94, सेक्टर–11, नौएडा
13. एमएलएन मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद
14. मोहन हॉस्पिटल, मोहन नगर, गाजियाबाद
15. नौएडा मेडिकल सेंटर, 16 सी, सेक्टर–30, नौएडा
16. रीजेन्सी हॉस्पिटल लि. कानपुर–208005
17. सर्वोदय अस्पताल, कवि नगर, गाजियाबाद
18. विवेकानन्द पोलीक्लीनिक, रामाकृष्णा मिशन, लखनऊ
19. यशोदा अस्पताल, गाजियाबाद
20. दिव्य योग मंदिर के अधीन डिस्पेंसरियां (ट्रस्ट), कृपालु बाग आश्रम कनखल, हरिद्वार

पश्चिम बंगाल

1. एडवांस मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट गड़ियाहाट रोड (दक्षिण) कोलकाता
2. आनन्दलोक अस्पताल, सीके–44, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता
3. एसेम्बली ऑफ गॉड चर्च हॉस्पिटल, कोलकाता
4. अरविन्दो सेवा केन्द्र, जोधपुर पार्क, कोलकाता
5. आरोग्य निकेतन उत्तरपाड़ा, हुगली
6. बी.पी. पोद्दार हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च लि., न्यू अलीपुर ब्लॉक–बी, कोलकाता–53
7. बी.एम. बिरला हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोलकाता
8. बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी, कोलकाता
9. बेहेला बालानन्द ब्रह्मचारी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, डायमंड हार्बर रोड, कोलकाता–17
10. कलकत्ता मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोलकाता
11. कैंसर सेन्टर एंड वेलफेयर होम, ठाकुरपुकुर, कोलकाता
12. कलकत्ता हार्ट क्लीनिक एंड हॉस्पिटल, साल्ट लेक, एच.सी. ब्लॉक, सैक्टर–III, बिन्दन नगर, कोलकाता
13. चितरंजन कैंसर हॉस्पिटल, कोलकाता
14. डॉ. रफी अहमद डेन्टल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कोलकाता
15. दिशा आई हॉस्पिटल एंड रिसर्चसेन्टर, बैरकपुर, 24 परगना
16. डॉ. सुदर्शन चक्रबर्ती मेमोरियल सेन्टर फॉर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट, कोलकाता
17. डंकन ग्लीनीग्लस हॉस्पिटल, कोलकाता

18. एस्कैग–संजीवनी, पी–48, क्षीरोद विदाविनोद विज्ञाविन्द एवेन्यू, बागबाजार, कोलकाता–700003
19. आई केयर एंड रिसर्च सेन्टर, बिपलाबी निकेतन, 12 ए, डॉ. बिरेश गुबा रोड, कोलकात–17
20. हारमोनी नर्सिंग होम, कोलकाता
21. आईएलएस मल्टी स्पेशियलिटी क्लीनिक, कोलकाता

22. जितेन्द्र नारायण रे शिशु सेवा भवन, कोलकाता
23. कोठारी मेडिकल सेन्टर, कोलकाता
24. के.पी.सी. मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कोलकाता
25. मेन्टल हॉस्पिटल लुम्बिनी पार्क, कोलकाता
26. माइक्रोलैप नर्सिंग होम, कोलकाता
27. पैरामाउण्ट हॉस्पिटल प्रा. लि., दार्जिलिंग
28. पार्क क्लीनिक, कोलकाता
29. नॉर्थ बैंक डायग्नोस्टिक सेन्टर, कोलकाता
30. नॉर्थ सिटी हॉस्पिटल एंड न्यूरो इंस्टीट्यूट, कोलकाता
31. पीयरलैस हॉस्पिटल, कोलकाता
32. रामाकृष्णा मिशन सेबा प्रतिष्ठान, कोलकाता
33. रूबी जनरल अस्पताल, ईस्टर्न बाई पास, कोलकाता
34. रबिन्द्र टैगोर इन्टरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डिक साइंसेस, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
35. एसईबीए (सेबा) हॉस्पिटल, साल्ट लेक सिटी, हॉस्पिटल
36. शहीद खुदीराम बोस इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेन्टर, बेलघोड़िया, कोलकाता
37. सिल्वर लाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 396, प्रिंस अनवर शाह रोड, कोलकाता
38. सुबोध मित्रा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर, 1 बी/175, साल्ट लेक सिटी, सैक्टर–III, कोलकाता–700106
39. सुरक्षा हॉस्पिटल, साल्ट लेक, कोलकाता
40. सुश्रुत आई फाउंडेशन एंड रिसर्च सेण्टर, कोलकाता
41. वाखार्ड मेडिकल सेन्टर, कोलकाता
42. वेस्ट बंगाल स्पेस्टिक्स सोसाइटी, अलीपुर रोड, कोलकाता
43. वाखार्ड हॉस्पिटल एंड किडनी इंस्टीट्यूट III–ए, रास बिहारी एवेन्यू, कोलकाता
44. वुडलैण्ड नर्सिंग होम, अलीपुर, कोलकाता
45. वेस्ट बैंक हॉस्पिटल, अन्दुल